न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

सत्यमेव जयते

पीठासीन अधिकारीः – श्री अंशुलसिंह, R.A.S.

अपील संख्याः 2020/03 दायर दिनांक 04.03.2020

अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
1. मोबिना पुत्री सादुल खां उम्र 40 वर्ष जाति कायमखानी निवासी हाल सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राज.।	बनाम्	1. ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 2. फतु खां पुत्र रावत खां 3. मांगू खां पुत्र रावत खां 4. हाजरा पत्नि बशीर खां 5. भंवरू खां पुत्र बशीर खां 6. शब्बीर खां पुत्र बशीर खां 7. सलीम बानो पुत्री बशीर खां 8. हमीदा बानो पुत्री बशीर खां 9. बिशु बानो पुत्री बशीर खां 10. नेक बानो पुत्री बशीर खां समस्त जाति कायमखानी निवासी निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 11. सरीफन बानो पुत्री रावत खां जाति कायमखानी निवासी निम्बी कलां हाल निवासी खारिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 12. नूर मोहम्मद पुत्र मीरू बक्स खां जाति कायमखानी निवासी खाखोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज। 13. खातुन बानो पुत्री मीरू बक्स खां पत्नि मुनीर खां। 14. मरेम बानो पुत्री मीरू बक्स खां पत्नि तीतू खां समस्त जाति कायमखानी निवासी दीनदारपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर। 15. नूर मोहम्मद पुत्र भंवरू खां 16. युसुफ खां पुत्र भंवरू खां 17. ईशाक खां पुत्र सादुल खां समस्त जाति कायमखानी निवासी होली धोरा सुजानगढ़ जिला चुरू राज.। 18. तहसीलदार, डीडवाना

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा म्युटेशन संख्या 02 दिनांक 07.02.1969 बाबत् रावत खां के सभी वारिसान के नाम र्द नही कर केवल फतु खां, मांगू खां, बशीर खां के नाम दर्ज किया गया को निरस्त कराने हेतु।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2020 / 03
दायर दिनांक 04.03.2020, निर्णय दिनांक 20.08.2020
मोबिना बनाम ग्राम पंचायत दौलतपुरा वगैराह

उपस्थित :–

1. श्री लालसिंह अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री पूरणसिंह बोहरा रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 10 व 17 की ओर से।
3. श्री विक्रम कुडी रेस्पोडेन्ट सं0 11 ता 16 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 20.08.2020

यह है कि अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा दौलतपुरा की शरहद खेत खसरा नम्बर 47 रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 49 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 130 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 09 बिस्वा जो पुर्व में रावतखां पुत्र लादूखां कायमखानी के नाम से दर्ज थी।

यह है कि उक्त रावतखां पुत्र लादुखां कायमखानी के तीन पुत्र फतूखां, मांगूखां, बशीरखां व चार पुत्रियां सरीफन बानो, सायराबानो, मेहफुलबानो, मूमताजबानो हुए। रावतखां का स्वर्गवास सन् 1966 में हुआ था तथा उक्त रावतखां के स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त पद संख्या एक में वर्णित समस्त खसरा नम्बरान की भूमि पर कब्जा काश्त रावतखां के वारिसानो का हो गया।

यह है कि रावतखां के स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र फतूखां, मांगूखां, बशीरखां ने मौजा दौलतपुरा की शरहद खेत खसरा नम्बर 47 रकबा 20 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 49 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 130 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 48 बीघा 07 बिस्वा जो पुर्व में रावतखां पुत्र लादुखां कायमखानी के नाम से दर्ज थी का म्युटेशन भरवाने के लिए राजस्व कर्मचारियो व ग्राम पंचायत दौलतपुरा के तत्कालिन सरपंच से मिलीभगत कर रावतखां के तीन ही वारिस बता कर उपरोक्त जमीन का म्युटेशन संख्या 02 दिनांक 07.02.1969 को अपने नाम दर्ज करवालिय। जो प्रारम्भ से ही शुन्य व अवैध है।

अपील के आधार

1. यह है कि ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने म्युटेशन संख्या 02 दिनांक 07.02. 1969 को स्वीकार करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। जिससे म्युटेशन जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि जैर अपील म्युटेशन को स्वीकृत करने से पूर्व ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने कब्जे बाबत व रावतखां के वारिसान बाबत कोई जांच नही की, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने उक्त म्युटेशन संख्या 02 दर्ज करते समय कोई जांच नही की तथा उक्त म्युटेशन पर रावतखां के समस्त विधिक वारिसान का कब्जा था उसके बाद भी उक्त म्युटेशन बिना जांच किये ही दर्ज कर दिया जिससे भी उक्त म्युटेशन जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2020/03
दायर दिनांक 04.03.2020, निर्णय दिनांक 20.08.2020
मोबिना बनाम ग्राम पंचायत दौलतपुरा वगैराह

3. यह है कि स्व. रावतखां के तीन पुत्र फतूखां, मांगूखां, बशीरखां व चार पुत्रियॉ सरीफनबानो, सायराबानो, मेहफुलबानो, मूमताजबानो प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा है तथा रावतखां के उपरोक्त जमीन पर कब्जा काश्त उनके सातो वारिसान का है मगर राजस्व कर्मचारियो व ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने बिना किसी जांच के उपरोक्त रावतखां की खातेदारी में दर्ज खेतो का म्युटेशन स्व.रावतखां के तीन पुत्र फतूखां, मागूखां, बशीरखां के ही नाम दिनांक 07.02.1969 को स्वीकृत कर दिया। इसलिये म्युटेशन जैर अपील गलत भरा गया है। जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि विवादित जमीन भी जागीरी समय से आज तक लगातार पहले अपीलान्ट के नाना रावतखां के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। रावतखां की मृत्यु के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 17 के कब्जे काश्त में है। परन्तु ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने बिना जांच किये व बिना अपीलान्ट व उसके भाईयों व माँ को नोटिस दिये उपरोक्त जमीन म्युटेशन संख्या 02 दिनांक 07.02.1969 को स्व. रावतखां के तीन पुत्र फतुखां, मागुखां, वशीरखां के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

5. यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार जब आसामी खातेदार अन्तिम इच्छापत्र छोड़े बिना मृत्यु हो जाता है तो उसके भूमि क्षैत्र में उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित होते है। उक्त नामान्तरण पारित करते समय विधि के प्रावधन एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के प्रावधान अनुसार अगर कोई खातेदार बिना वसियत के मर जाता है तो उसका हित व्यक्तिगत कानून के मुताबिक उसके विधिक उतराधिकारियों को जावेगा और अपीलान्ट स्व. रावतखां की पुत्री मुमताजबानो की पुत्री होने कारण उसकी विधिक वारिसान है तथा रावतखां की जमीन में अपीलान्ट की माता का हक हिस्सा व कब्जा होने के कारण अपीलान्ट का हक हिस्सा अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास हो जाने के कारण विधिवत रूप से है। जिस कारण से भी उक्त नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अपील अन्दर मियाद पेश है क्योंकि उक्त गलत म्युटेशन की अपीलांट को ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नही दी। अपीलांट एक औरत जात है इस गलत म्युटेशन का ईल्म अपीलांट को दिनांक 04.02.2020 को नकल लेने से हुआ तथा म्युटेशन दिनांक 07.02.1969 से 04.03.2020 तक हुई देरी को माफ किया जावें। उक्त अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपील को मयाद में होना सुमार करावें। उक्त हुई देरी बावत अपीलांट धारा 05 लिमिटेशन एक्त का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलार्थीनी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर जै अपील बिना जांच ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा म्युटेशन 02 दिनांक 07.02.1969 फतु खां, मागू खां, वशीर खां के नाम मंजूर किया उक्त

सहा. कलेक्टर
(नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपील, संख्या–2020 / 03
दायर दिनांक 04.03.2020, निर्णय दिनांक 20.08.2020
मोबिना बनाम ग्राम पंचायत दौलतपुरा वगैरह

म्युटेशन को निरस्त फरमाने का आदेश फरमाये तथा म्युटेशन फलस्वरूप गलत इन्द्राज किया गया है तो उसे निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये।

अपीलार्थीनी की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 10 व 17 की तरफ से वकील श्री पूरणसिंह बोहरा ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट सं0 11 ता 16 की तरफ से वकील श्री विक्रम कुडी ने वकालतनाम पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं0 18 मय रेकर्ड के उपस्थित।

बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट स्व0 रावत खां की वारिसान है तथा स्व0 रावत खां के फौत होने पर अपीलान्ट का नाम भी उक्त खसरान में दर्ज होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। अतः ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा म्यूटेशन संख्या 02 दिनांक 07.02.2020 फतु खां, मांगु खां, बशीर खां के नाम मंजुर किया गया उक्त म्यूटेशन को निरस्त कर स्व0 रावत खां के वारिसान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 तो 17 के नाम उपरोक्त खसरा नम्बर का म्यूटेशन विधिक रूप से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कोई आपत्ति पेश नहीं की।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भी पिता की मृत्यू सन् 2005 से पूर्व हो गई हो तो भी माता–पिता की सम्पति में बेटिया का अधिकार होगा। अतः उक्त निर्देश के अनुसार भी अपीलान्ट की माता मुमताज बानों माता–पिता की सम्पति में अपना हक हिस्सा रखती है। अतः तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोनोपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: **आदेश** ::–

अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरहद मौजा दौलतपुरा तहसील डीडवाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 07.02.1969 में पारित ग्राम पंचायत दौलतपुरा का अपीलाधीन "स्वीकृत आदेश" निरस्त किया जाकर तहसीलदार डीडवाना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा रेकर्ड का अवलोकन करते हुए व स्व0 रावत खां के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण पुनः स्वीकृति की कार्यवाही करे।

(अंशुल सिंह)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **20.08.2020** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः – श्री अंशुलसिंह, R.A.S.

अपील संख्याः 2020/03 दायर दिनांक 04.03.2020

अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
1. मोबिना पुत्री सादुल खां उम्र 40 वर्ष जाति कायमखानी निवासी हाल सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राज.।	बनाम्	1. ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. वगैराह

अपील, अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा म्युटेशन संख्या 02 दिनांक 07.02.1969 बाबत् रावत खां के सभी वारिसान के नाम र्द नही कर केवल फतु खां, मांगू खां, बशीर खां के नाम दर्ज किया गया को निरस्त कराने हेतु।

उपस्थित :–

1. श्री लालसिंह अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. श्री पूरणसिंह बोहरा रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 10 व 17 की ओर से।
3. श्री विक्रम कुडी रेस्पोडेन्ट सं0 11 ता 16 की ओर से।

–:: संशोधित निर्णय ::–

दिनांक 21.08.2020

वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि लिपीकीय त्रुटि से म्यूटेशन संख्या 05 के स्थान पर म्यूटेशन संख्या 02 का अंकन हो गया है। अतः अपील के मीमों में एवं निर्णय में म्यूटेशन संख्या 02 के स्थान पर म्यूटेशन संख्या 05 दिनांक 07.02.1969 का संशोधन किया जावें।

–:: आदेश ::–

अतः वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा दौलतपुरा तहसील डीडवाना के आराजी से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 07.02.1969 के स्थान पर म्यूटेशन संख्या 05 दिनांक 07.02.1969 पढा व समझा जावें।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

संशोधित निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुलसिंह)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.10.08 15:15:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner